

LATL:CS:PB:2019-20 Date: 24.02.2020

BSE Limited Listing Compliance Department Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 The National Stock Exchange of India Limited Listing Compliance Department Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051

Company Code: 532796 Company Code: LUMAXTECH

Subject: Newspaper cutting for dispatch of Notice of Postal Ballot

Dear Sir/Ma'am,

Please find enclosed copy for dispatch of Notice of Postal Ballot published in the Newspapers on 23<sup>rd</sup> February, 2020 in Financial Express (English- All Editions) and Jansatta (Hindi Edition) for your records.

The above intimation shall also be made available on the website of the Company at <a href="https://www.lumaxworld.in/lumaxautotech">www.lumaxworld.in/lumaxautotech</a>.

The above is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LIMITED

ANIL TYAGİ COMPANY SECRETARY M.NO. A-16825

Encl.: as above



out of lith Right it Storey, d, Illaqa 110053 Khan)	Rs.2 Oth
d Floor, 0, B 09, et-10B, aziabad, q. Mtr. mar)	Ott
f Khasra Gali No. I a g a r kdarpur, 32 Area- wner-Mr na)	Rs.1
Garden Topura, 30 Sq. Ft. Kumar	Rs.
or Front of No A- Garder nopura 00 Sq. Ft Kuma	Rs
Floor 1, Secto Distric Owner Id) Area	r F
o F-43 c-F, Nan .P., Area vner- M	r.
tuated at t, Noida, agar, UP, (Owner-	
(hasra No (without ), Village It Nagar hi-110018 eet Kaur	
known Futuris ink Ro baseme , 1 hall ing roo Khew (hasra	ent ent , 2 em, at/

enue State arkhauda Tehsil and Owner ucational d Property Line Mayapuri, - 100.00

TGS in the foll Chandni Cho before 5:00 F 3887931 property rel e telephone 8800013563 IS & CONE //www.banke

Singh)

NDER RULE 8(6 sum as menti-ction, failing wh rest and cost.

INDIA, R.O. (No

## Indians use too big car te move single person: Pawan Goenka

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai, February 22

INDIANS USE TOO big car by size for moving a single person, and the fate met by Tata Nano was unfortunate, Mahindra and Mahindra managing director Pawan Goenka said on Saturday. He also conceded the automobile industry add to pollution, and pitched for adopting all the means to reduce it. It can be noted that the Tatas have discontinued Nano after poor response to the 600-cc ₹1 lakh car. Many experts have blamed the product's utilitarian product pitch in a country where owning a car is seen as a lifestyle necessity as a reason for the failure.

"It is very unfortunate that Nano didn't do very well," Goenka said, speaking at an alumni event organised by his alma mater IIT-Kanpur here.

He said Indians weighing 65-70 kg use an entire 1,500 kg car to travel individually, hinting at the wastage of resources that go into making the big car move

"We need to have personal transport that is more tuned to moving a single person," Goenka said.

Keeping the same requirement in mind, Goenka said his company has launched smaller car, which should be hitting the market soon.

He also acknowledged that automobiles at present contribute 7% of the carbon dioxide and a fifth of particulate matter PM 2.5, and every effort should be made to reduce the impact rather than mounting efforts to say that it is only this much of an impact. India can lead the race on the connected car front due to its prowess on the information technology front, Goenka said.

### **Bharti Infratel** board to meet post DoT's nod for merger

BHARTI INFRATEL ON Saturday said its board will meet on February 24 to chart out the future course of action following the telecom department's approval for merger with Indus Towers. The combination of Bharti Infratel and Indus Towers will create a pan-India tower company with over 163,000 towers, operating across all 22 telecom service areas. The combined entity will be the largest tower company in the world outside China. "...FDI approval formerger of Indus Towers with Bharti Infratel has been received late evening yesterday (Friday), Bharti Infratel said in a regulatory filing. It added that the board of directors of the company will meet on February 24 2020, to "take stock and decide the future course of action".

LUMAX

#### **Lumax Auto Technologies Limited**

Registered Office: 2<sup>nd</sup> Floor, Harbans Bhawan-II, Commercial Complex, Nangal Raya, New Delhi-110046 Phone: 011-49857832, Email: shares@lumaxmail.com, www.lumaxworld.influmaxautotech. CIN: L31909DL1981PLC349793

NOTICE OF POSTAL BALLOT TO THE MEMBERS

Notice is hereby given to the Members pursuant to Section 110 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations"), including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force, Secretarial Standard-2 on General Meeting ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and other applicable laws and regulations for seeking consent / approval of the Members to pass the below appended proposed resolution by way of an ordinary resolution through Postal Ballot (including voting through electronic mode) on the following items:

1. Approval of Material Related Party Transactions with Lumax Industries Limited.

dustries Limited.

The Members are bereby informed that:

i. The Company has on 22nd February, 2020 completed the dispatch of Notice of Postal Ballot dated 12" November, 2019 along with the Postal Ballot Form to all the Members whose names appeared in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Friday, 07th February, 2020:

i.e. Friday, 07th February, 2020:
(a) through physical mode, along with a self- addressed postage prepaid Business Reply Envelope to the Members whose email addresses are not registered.
(b) through e-mail to Members (as on Friday, February 07, 2020 which is the cut-off date) whose email addresses are registered in the records of Depository Participant(s) viz National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz. Big Share Services Pvt. Ltd.,
to seek the consent/ approval of the Members on the agenda item

to seek the consent/ approval of the Members on the agenda item listed in the Notice of Postal Ballot along with the Explanatory Statement annexed thereto as required under the provisions of Section 102 read with Section 110 of the Act.

The business to be transacted by Postal Ballot may also be transacted by e-voting as provided in the Act read with the Rules

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Rules and the Listing Regulations, the Company has provided facility for e-voting through KFin Technologies Pvt. Ltd. ("KFintech") e-voting platform. The e-voting period commences on Monday, 24" February, 2020 at 09:00 A.M. (IST) and ends at 05:00 P.M. (IST) on Tuesday, 24" March, 2020. During this period, Members of the Company, holding shares either in physical or dematerialized form, as on the cut-off date, i.e. Friday, 07" February, 2020, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by KFintech thereafter and shall not be allowed beyond 05:00 P.M. on Tuesday, 24" March, 2020.

Voting Rights of the Members has been reckoned as on 07th February,

2020, which is the cut-off Date.

The Board of Directors of the Company, has appointed Mr. Maneesh Gupta, Practicing Company Secretary (FCS 4982), Delhi to act as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent maniner.

The duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer and later than 105 00 RM (IST) on Turedow 24th March 2020 to be

not later than 05:00 P.M. (IST) on Tuesday, 24th March, 2020 to be eligible for being considered, falling which it will be considered that no reply has been received from the Member(s).

The Members can opt for only one mode of voting, i.e., either by physical Postal Ballot or by e-voting. However, in case Members cast their vote by physical Postal Ballot and e-voting both, then voting done through e-voting platform shall prevail and voting done by physical Postal Ballot will be treated as invalid.

The result of the Postal Ballot would be announced by the Chairman of the Company or in his absence to the person authorized by him in www.lumaxworld.in/lumaxautotech and on the Website of the KFin Technologies Pvt. Ltd. (KFintech) i.e. <a href="https://www.kfintech.com">www.kfintech.com</a>. The result will simultaneously be communicated to the Stock Exchanges, where the Company's shares are listed, Depositories and Registrar and Share Transfer Agent.

The Notice of Postal Ballot and Postal Ballot Form have also been placed on the website of the Company viz.

www.lumaxworld.in/lumaxautotech as well as on website of KFintech
viz. www.kfintech.com. Members who have not received the Notice of
Postal Ballot or Postal Ballot Form can download the same from
either website as provided above and seek a duplicate Postal Ballot
Form from the Registered Office address of the Company.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members at https://evoting.karvy.com/public/Faq.aspx or call KFin Technologies Pvt. Ltd. on 1800 345 4001 (toll free) or may send an e-mail request to einward.ris@kfintech.com.

For any grievances in respect of e-voting, Members may contact as

Mr. DS Nagaraja

KFin Technologies Pvt. Ltd.
Unit: Lumax Auto Technologies Limited

Phone: +040 67161582 | Email: nagaraja.ds@kfintech.com

For any grievances in respect of Postal Ballot, Members may contact

Mr. Anil Tvagi


Company Secretary

Lumax Auto Technologies Limited
Phone: + 0124-4760000 | email: anil.tyagi@lumaxmail.com

By Order of the Board For Lumax Auto Technologies Limited

Place : Gurugram Date : February 22, 2020

Anil Tyagi Company Secretary





पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल, हरवंश भवन-II, कमशिंपल कॉम्पलेक्स, नागल राया, नई दिल्ली-110046 दूरनाष : 011-49857832 ईमेल : <u>shares@lumaxmail.com</u>, वेबसाइट : <u>www.lumaxworld.in/lumaxautotech</u>, सीआईएन : L31909DL1981PLC349793 सदस्यों के लिए पोस्टल बैलट की सूचना

कप्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 ('नियम') के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 110 तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो, एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के विनियम 44 तथा वर्तमान में लागू इसके अन्य विधिक संशोधन(नों) अथवा पुनर्क्रियान्यम, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) एवं अन्य प्रयोज्य कानूनों तथा विनियमों हारा जारी महा बैठकों (एसएस-2) के महासचिवीय मानक-2 के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नितिखित मदों पर पोस्टल बैलट (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में मतदान सहित) के माध्यम से सामान्य प्रस्ताव के द्वारा निम्नितिखत विस्तारित प्रस्तावित प्रस्ताव पारित करने के लिए सदस्यों की सहमति / अनुमोदन के लिए:

1. ल्यूगैक्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ तात्विक सम्बद्ध पक्ष के लेन-देन का अनमोदन।

अनुमोदन।
एतद्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

i. कम्पनी ने पोस्टल बैलट प्रपत्र सहित पोस्टल बैलट की सूचना तिथि 12 नवम्बर, 2019 को उन सदस्यों के पास भेजने का कार्य 22 फरवरी, 2020 को भेज दिया गया है जिनके नाम कट—ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 07 फरवरी, 2020 तक सदस्यों के रिजस्टर / लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं:

(a) प्रीपेड स्व—पता लिखित व्यापारिक प्रत्युत्तर लिफाफे के साथ भौतिक माध्यम से उन सदस्यों के पास जिनके ई—मेल पते पंजीकृत नहीं हैं।

(b) ई—मेल द्वारा उन सदस्यों (कट—ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 07 फरवरी, 2020 तक) को जिनके ई—मेल पते डिपॉजिटरी मागीदार(रों) अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसंज (इण्डिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") के रिकार्ड तथा कम्पनी के जिस्टार एवं शेयर अन्तरण एजेन्ट अर्थात बिग शेयर सर्विसंज प्रालि. के साथ रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेन्ट अर्थात बिग शेयर सर्विसेज प्रा.लि. के साथ

ताकि अधिनियम की धारा 110 के साथ पठित धारा 102 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण परन्तुक सहित पोस्टल बैलट की सूचना में सूचीबद्ध कार्यसूची पर सदस्यों की सहमति / अनुमोदन प्राप्त की जा सके। पास्टल बैलट द्वारा संव्यवहरित प्रकार्य अधिनियम एवं उसके साथ पठित नियमों

के अनुसार ई–वोटिंग द्वारा भी संव्यवहरित किये जा सकते हैं। नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों तथा सूचीबद्धता

विनियमों के अनुपालन में कम्पनी ने केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा.लि. ("केफिनटेक") ई—वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई—वोटिंग हेतु: सुविधा प्रावधानित की है। ई—मतदान अवधि सोमवार, 24 फरवरी, 2020 को 09:00 बजे प्रातः (भा.मास.) से प्रारम्भ होगा और मंगलवार, 24 मार्च, 2020 को 05:00 बजे साथ (भा.मा.स.) समाप्त होगा। इस अवधि के दौरान कट—ऑफ तिथि अर्थात 07 फरवरी, 2020 तक भौतिक या डीमेटीरियलाङ्ज्ड प्रारूप में कम्पनी के शेयर धारण करने वाले सदस्य अपना मतदान इलेक्ट्रोंनिक माध्यम से कर सकते हैं। रिमोट ई-मतदान मॉड्यूल इसके पश्चात केफिनटेक द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा और मंगलवार, 24 मार्च, 2020 को 5:00 बजे सायं के पश्चात मतदान की अनुमति

iv. सदस्यों के मताधिकार शुक्रवार, 07 फरवरी, 2020 जो कि कट-ऑफ तिथि है,

तक माय होंगे।

कम्पनी के निदेशक मण्डल ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पोस्टल बैलट एवं ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन हेतु श्री मनीष गुप्ता, कार्यरत कम्पनी सचिव (एफसीएस 4982) को नियुक्त किया है। पूर्ण रूप से भरे पोस्टल बैलट प्रपत्र पात्रता के विचारार्य मंगलवार, 24 मार्च,

2020 को 05:00 बजे सायं (भा.मा.स.) तक संवीक्षक के पास पहुँच जाने चाहिए, जिसमें असफल रहने पर यह माना जायेगा कि सदस्य(यों) से कोई प्रत्युत्तर नहीं

vii. सदस्य मतदान का केवल एक ही माध्यम अर्थात भौतिक पोस्टल बैलट या ई-मतदान ही चुन सकते हैं। किन्तु यदि सदस्य भौतिक पोस्टल बैलट तथा ई-वोटिंग, दोनों माध्यम से मतदान द्वारा करते हैं तो ई-वोटिंग के मतदान को वरीयता दी जायेगी और भौतिक पोस्टल बैलट द्वारा मतदान के अवैध माना

viii. पोस्टल बैलट के परिणाम की घोषणा कम्पनी के चेयरमैन द्वारा अथवा उनकी . पास्टल बेलट क परिणाम की घोषणा कम्पनी के चेयरमेन द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में लिखित में उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा या कम्पनी के कम्पनी सचिव द्वारा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर बृहस्पतिवार, 26 मार्च, 2020 को 05:00 बजे साय या इससे पूर्व की जायेगी। संवीक्षक के प्रतिवेदन सहित पोस्टल बैलट के परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.lumaxworld.in/lumaxutotech तथा केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा.िल. (केफिनटेक) की वेबसाइट www.kfintech.com पर भी प्रवर्शित किये जायेगे। इन परिणामों की सूचना तत्काल स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, डिपॉजिटरियों तथा रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेन्ट को भी दी जायेगी।

जायगा।
ix. पोस्टल बैलट तथा पोस्टल बैलट प्रपत्र की सूघना कम्पनी की वेबसाइट
www.lumaxworld.in/lumaxautotech तथा किफनटेक की वेबसाइट
www.kfintech.com पर भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को पोस्टल बैलट की
सूचना अथवा पोस्टल बैलट प्रपत्र नहीं प्राप्त हुए हैं वे इसे या तो उपर्युक्त
वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या डुप्लीकेट पोस्टल बैलट प्रपत्र कम्पनी
के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

किसी पूछताछ के लिए आप https://evoting.karvy.com/public/Faq.aspx पर Frequently Asked Questions (FAQs) for Members का सन्दर्भ ले सकते हैं या केफिन वेद्यानोलॉजीज प्रा.लि. से 1800 345 4001 (नि:शुल्क) सम्पर्क कर सकते हैं या einward.ris@kfintech.com पर ई मेल निवेदन भेज सकते हैं ई—मतदान के सम्बन्ध में किसी शिकायत के लिए सदस्य निम्नलिखित सम्बद्ध व्यक्ति से सम्पर्क कर सकते हैं :

श्री डी.एस. नामराज केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा.लि.

इकाई: ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

दूरभाष : 040 67161582 🗸 ई—मेल : nagaraja.ds@kfintech.com xii. पोस्टल बैलट के सम्बन्ध में किसी शिकायत के लिए सदस्य निम्नलिखित सम्बद्ध व्यक्ति से सम्पर्क कर सकते हैं

श्री अनिल त्यागी ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

दूरभाष: 0124.4760000 / ई-मेल: anil.tyagi@lumaxmail.com

बोर्ड के आदेश से ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

स्थान: गुरुग्राम तिथि : 22 फरवरी, 2020

अनिल त्यागी कम्पनी सचिव

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्भव ठाकरे को यह समझने के लिए संशोधित नागरिकता नियम-2003 पर 'जानकारी दिए जाने की जरूरत' है कि कैसे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) राष्ट्रीय नगगरिक पंजी (एनआरसी) का आधार है। तिवारी ने यह भी कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) पर ठाकरे को संविधान के स्वरूप से फिर से परिचित होने की जरूरत है जिसके मुताबिक धर्म नागरिकता का आधार नहीं हो सकता।

ठाकरे के एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात

तिवारी की तरफ से यह बयान आया है। महाराष्ट्र में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। मोदी से मुलाकात के बाद ठाकरे ने कहा था कि सीएए को लेकर किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह किसी को देश से बाहर निकालने के संबंध में नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता तिवारी ने कहा, 'महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को संशोधित नागरिकता नियम-2003 के बारे में फिर से जानकारी लेने की जरूरत है जिससे वे यह समझ पाएं कि कैसे एनपीआर ही एनआरसी की बुनियाद है।' उन्होंने कहा कि एक बार जब आप एनपीआर करते हैं तो फिर एनआरसी को नहीं रोक सकते।

# वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में मणिपुर विवि के कुलपित बर्खास्त

नई दिल्ली, 22 फरवरी (भाषा)।

ने

विश्वविद्यालय के कुलपति आद्या प्रसाद पांडेय को वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की शिकायतों के मद्देनजर बर्खास्त कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) के एक आदेश में यह जानकारी

मंत्रालय ने जांच के बाद शुक्रवार को पांडेय को बर्खास्त कर दिया। आदेश में कहा गया कि जांच रिपोर्ट में वह वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के साथ ही कदाचार, कर्तव्यों का निष्कासन, सत्ता का दुरुपयोग और प्रतिबद्धता के अभाव में लिप्त पाए गए।

फॉर्म नंबर URC-2
अध्याय XXI के भाग । के तहत पंजीकरण के बारे में सूचना देने वाला विज्ञापन
(कंपनियों के अधिनियम, 2013 की घारा 374 (बी)
और नियम 4 (1) कंपनियों के लिए
(पंजीकृत करने के लिए अधिकृत) नियम, 2014,
1. सूचना यहाँ दी गई है कि कंपनी अधिनियम,
भी, भामत्तीय कॉपरेट संस्थानों के संस्थानों
(IICA) में श्थित CRC ऑफ कंपनीज के कार्यालय
को एक आवेदन दिया गया है। ) प्लॉट नंबर।
6.7.8, संकटर 5, IMT मानेसर, गूढगांव, 122050
के ZINDAGI TECHNOLOGIES LLP कंपनी
अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के माग । के तहत
पंजीकृत हो सकती है, शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के
रूप में।
2- कंपनी की प्रमुख तरताएँ इस प्रकार हैं

पंजीकृत हो सकती है, शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के स्व में ।

2 - कंपनी की प्रमुख वस्तुर इस प्रकार हैं :

के सताह देने के लिए, कंप्यूटर सींपटबंबर और हार्डवेबर सिस्टम के कार्योच्चिन, डेटा प्रोसेशिंग और सुबना प्रणाली और डेटा संचार प्रणाली के सुबना प्रणाली और डेटा संचार प्रणाली के क्षेत्रकर आहर के रूप काम करने के व्यवसाय पर ले जाने के लिए सभी मामली पर पाइकों के लिए परामश्र सेवाएं प्रदान करना, विकिसत करना और उन्हें लागू करना। तकनीको, विवाद संकार, प्रवाद, करावान, करावान, विकास करना और उन्हें लागू करना। तकनीको, विकास कार्यक्रमा अस्वान, उत्पादकरात, गुणवता, करावान, रोजनाए, मानव संसाधन, मही, विवेश, विपाल, आहि सहित और अधिक समस्वाएं और मामले, आहि सहित करने अर्थिय प्रवाद करने, और संवाडों, कार्यकारी विकास कार्यक्रम, प्रदर्शन और सवाडाकारों के विकास कार्यक्रम, करने, और सवाडाकारों के विकास अध्यात, नियात, व्यरीद, या कार्यकरने के लिए सलाह और अशिक्त सामगी विवाद के लिए सलाह और अशिक्त सामगी। सामगी।

सलाहकारों के विकास आयात निर्यात, स्वरीय, या कार्य करने के लिए। शैकिक सामग्री कार्यकर्मा, शैकिक ब्रीन्थारी कार्यकर्मा, या विकास, सुवार, निर्यात वाजार वितरण, विक्री, विकास, सुवार, स्थापित, परिवर्तन, आयात, निर्यात या अन्यथा सभी सीपटवेयर, हार्ववेयर और किसी भी और सभी प्रकार और वितरण के कार्यकर्मा के साथ, साहित, लेकिन नहीं इत्तरहाँ निक हाटा प्रोशेसिंग उपकारण, कप्यूटर और माइको प्रोशेसक आधारित सिरस्य, मिनी और सभी प्रकार और वितरण के कार्यकर्मा के साथ, साहित, लेकिन नहीं सहक्षेत्र के साहुको प्रोशेसक आधारित सिरस्य, मिनी और सभी प्रकार और साहुको के प्रवर्ट आपरित स्वरस्य, मिनी और सभी प्रकार अधित सिरस्य, मिनी और सभी प्रकार कार्यकरण, अधारित सिरस्य, मिनी और समाइको के प्रवर्ट अपित वृद्धाना रोपति साहुको के प्रवर्ट अपित वृद्धाना रोपति साहुको के प्रवर्ट अपित वृद्धाना रोपति साहुको के प्रवर्ट अपित वृद्धाना रोपति साहुक्त साहुक्त साहुक्त के प्रवर्ट अपित वृद्धाना रोपति साहुक्त साहुक्त के प्रवर्ट अपित वृद्धाना साहुक्त के प्रवर्ट के स्वर साहुक्त साहुक्त साहुक्त साहुक्त साहुक्त साहुक्त साहुक्त के साहुक्त साह

हस्ता /-अभिजित सिंह आनंद दीन नं- 07633119

## असम सरकार प्राथमिक विद्यालयों के नामों से 'मकतब' शब्द हटाएगी

गुवाहाटी, २२ फरवरी (भाषा)।

असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शनिवार को कहा कि असम सरकार 63 राजकीय और खरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के नामों से (इस्लामी धार्मिक 'मकतब' अध्ययन केंद्र) शब्द को तत्काल प्रभाव से हटाएगी। सरकार का यह फैसला राज्य सरकार द्वारा संचालित मदरसों और संस्कृत विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित करने के कदम के मद्देनजर आया है।

सरमा ने कहा कि हालांकि, स्कूलों के नामों से केवल 'मकतब' शब्द को हटाया जाएगा, जबकि नाम में लिखे बाकि शब्दों को वैसे ही रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे उन छात्रों के लिए समस्याएं पैदा हुई हैं, जो प्राथमिक विद्यालयों में अपनी शिक्षा परी करने के बाद उच्च विद्यालयों में प्रवेश चाहते हैं।

सरमा ने कहा कि ऐसे विद्यालयों के छात्रों से उच्च विद्यालयों में पढ़ाई करने की उनकी क्षमताओं के बारे में पूछताछ की जाती है, जहां कोई धार्मिक अध्ययन नहीं होता है। सरमा ने कहा कि मदरसों और संस्कृत विद्यालयों को पहले ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित करने के सरकार के फैसले के बारे में सूचित कर दिया गया था।

2020 2020 2 100 1 1 9 6 -2010 2 1 2 0 20

नई दिल्ली

a 3, w 1. 1, DN dd ie isd to irt ve ayybye to he iso out ay Ass ed yurt.